पावर ग्रिड कोर्पोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड



Power Grid Corporation of India Limited सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गृङगांव, हरियाणा-122001



Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001

दिनांक: 30 June, 2022

PGCIL/R/E/22/00195

Shri Ashok Meena, House No. 17 CBI Colony, Jagatpura, Jaipur, -302017 Rajasthan

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया.

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 1 June, 2022 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-। में संलग्न है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गृडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा। ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद.

(ए. जगन्नाथ राव)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं केंद्रीय लोक सुचना अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request of Shri Ashok Meena, Jaipur, Rajasthan

SI.No.	Information sought:	Reply:
	In reference to the three SC/ST associations currently functional in POWERGRID following information may kindly be provided:	
1.	Are these associations governed by any rule or set of rules, a constitution of sort? If yes, a copy of the same may kindly be shared.	The sought information does not pertains to POWERGRID.
2.	How are the post holders of these associations like the general secretary, national president etc. are chosen and for what tenure?	The sought information does not pertains to POWERGRID.
3.	Does POWERGRID maintain, in record, the association wise list of members?	Information requested is not readily maintained. Further, creation of such voluminous information would disproportionately divert the resources of the Public Authority, therefore, disclosure of the same is exempted under section 7(9) of the RTI Act, 2005.

2 2 3 BMIL